UPME010087442026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2422/2026

शिवम कुमार पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी–बुद्वि विहार, जेड़/1601 थाना मंझौला जनपद मुरादाबाद।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य ..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध सं0–58/2026
अं0धारा–115(2),316(2),352,69 भा0न्याय संहिता।
थाना–नौचन्दी, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ..... श्री सुशील कुमार बितोलिया व मौ0 इसरार, विद्वान अधिवक्ता

वादी की ओर से ..... श्री नरेश दत्त शर्मा, विद्वान अधिवक्ता

उ0प्र0राज्य की ओर से ..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

दिनांक–19.06.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शिवम कुमार पुत्र रघुवीर सिंह** की ओर से मुकदमा अपराध सं0–58/2026, अं0धारा– 115(2),316(2),352,69 भा0न्याय संहिता थाना–नौचन्दी, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि वादिनी/पीड़िता जतिन राजवंशी के यहा जे०एन०जी फर्म कान्हा काम्पलैक्स तेजगढी मेरठ पर जहा फाईनेन्स व कलेक्शन का काम होता है, मे कलेक्शन पर टेली कलर का कार्य करती थी जिस कारण प्रार्थिनी की जगह जगह बात होती थी वही पर शिवम कुमार पुत्र रघुवीर सिंह का आफिस के क्लेक्शन के काम से आना जाना था, जहाँ प्रार्थिनी की शिवम से मुलाकात हुई और बातचीत शुरु हो गयी और व प्रार्थिनी से फोन पर भी बात करने लगा और उसने प्रार्थिनी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातो में फंसा लिया और शादी करने का आशावासन देकर दिनांक 7.3.2025 को शिवम प्रार्थिनी को शुभकामना होटल निकट पी०वी०एस० मेरठ पर ले गया और वहा ले जाकर प्रार्थिनी

को कोल्ड ड्रिंक पिलायी जिसे पीकर प्रार्थिनी अर्ध–बेहोशी की हालत मे हो गयी जब प्रार्थिनी को होश आया तो प्रार्थिनी ने देखा कि वह कमरे मे थी और उसके शरीर पर कपडे नही थी और शिवम के शरीर पर कपडे नही थे और प्रार्थिनी को अहसास हुआ कि शिवम ने कोल्ड ड्रिंक मे नशीला पदार्थ मिलाकर दिया तथा जिससे प्रार्थिनी अर्ध–बेहोशी की हालत में हो गयी और उसने बिना प्रार्थिनी की मर्जी के प्रार्थिनी के साथ बलात्कार किया। जब प्रार्थिनी ने शिवम से कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यो किया है मै इसकी शिकायत पुलिस मे करुगी तो उसने अपने मोबाइल मे प्रार्थिनी की अश्लील फोटो विडियो दिखाई और कहने लगा कि मैने तेरी विडियो व फोटो बना लिये है अगर तुने मेरी कही शिकायत की तो मैं तेरी विडियो व फोटो वायरल कर दूँगा। इसके बाद शिवम प्रार्थिनी की विडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर प्रार्थिनी को ब्लैक मेल करता रहा और प्रार्थिनी के साथ बिना प्रार्थिनी की मर्जी के बलात्कार करता रहा जिस कारण प्रार्थिनी गर्भवती हो गयी तो शिवम ने प्रार्थिनी को जबरदस्ती कोई गोली खिला दी जिससे प्रार्थिनी का गर्भपात हो गया। इस बीच शिवम ने ब्लैकमेल करते हुये प्रार्थिनी से लगभग 4,50,000/–रुपये आनलाईन तथा लगभग 2,35,000/– रुपये कई बार नकद ऐठ चुका है और प्रार्थिनी को ब्लैकमेल करके प्रार्थिनी की माता के नाम से आई0फोन 14 फाईन्नेस करके अपने पास रखा है। जिसकी किश्त प्रार्थिनी को जमा करनी पड रही है। दिनाँक 10.01.2026 रात्रि के समय करीब 12.30 बजे शिवम ने अपने मो0न0 7900476901 से प्रार्थिनी के मो0नं0 7037237413 पर फोन करके प्रार्थिनी को घर के नीचे बुलाया और प्रार्थिनी जबरदस्ती थार गाडी रजि० नं० यू०पी० 38 ए०एच 2003 मे डालकर ले गया। उक्त गाडी मे पहले से शिवम के दो दोस्त अमित मिश्रा व दोस्त मंयक चौधरी बैठे हुए थे जिसमे मयंक चौधरी गाडी चला रहा था। इन तीनो ने शराब पी रखी थी इसके बाद उक्त लोग प्रार्थिनी को किसी अज्ञात स्थान पर ले गये और गाडी मे ही शिवम व उसके दोनो दोस्तो ने प्रार्थिनी को डरा धमकाकर और विडियो वायरल करने की धमकी देकर बारी बारी से प्रार्थिनी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। प्रार्थानी ने इस बात का विरोध किया तो उक्त तीनो ने प्रार्थिनी के साथ मारपीट की। प्रार्थिनी के कहने पर कि अगर वह घर पर नही मिली तो उसकी मा थाने पर जाकर पुलिस पुलिस में शिकायत कर देगी। इस बात से डरकर उक्त तीनो प्रार्थिनी को उसके घर के बाहर छोडकर भाग गये, धमकी देकर गये अगर पुलिस में शिकायत करी तो तेरी फोटो विडियो वायरल करके कही मुँह दिखाने लायक नहीं छोडूगा। प्रार्थीनी इनकी धमकी से काफी डर गई उसने यह सब बाते शिवम की बहन दीपा सिंह व पूजा सिंह को बतायी तो उक्त दोनो ने प्रार्थिनी के साथ गाली गलौच की और उसकी विडियो वायरल कराकर उसको बदनाम करने की धमकी देकर चुप करा दिया। शिवम अब भी अपने मो0नं0 7900476901 से प्रार्थीनी को डरा धमका रहा है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फॅसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई है, जिससे कथित घटना स्पष्ट रूप से संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमे में किसी प्रकार

का कोई मेडिकल/चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र नहीं है। अभियोजन पक्ष आज तक भी ऐसा कोई भी/कैसा भी, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम दृष्टया अपराध सिद्व होता हो। एफ०आई०आर० के अवलोकन से स्पष्ट है कि, प्रार्थी/अभियुक्त तथा वादिया मुकदमा के बीच, पूर्व से ही परिचय व संपर्क था, तथा दोनों साथ में जतिन राजवंशी के जे०एन०जी० फर्म कान्हा कॉम्प्लेक्स, तेजगढ़ी मेरठ के कलेक्शन का कार्य करते थे। वादिया के स्वयं अपने कथन के अनुसार ही, वादिया के साथ कोई छलपूर्वक अथवा कपटपूर्वक, किसी प्रकार का यौनाचार नहीं किया गया है, यौन–सम्बंध नहीं बनाए गए हैं। इसके विपरीत, वादिया ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी स्वेच्छा से प्रार्थी/अभियुक्त के साथ गई थी। जब किसी प्रकार का यौनाचार ही नहीं है तथा किसी प्रकार का छल–कपट भी नहीं है ऐसी अवस्था में प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 69 बी०एन०एस० के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, धारा 69 प्रभावी नहीं होती है। वादिया द्वारा एक प्रपंचकारी झूठी कहानी भर है, मात्र आरोप लगाया गया है, न तो कोई चिकित्सा प्रमाण–पत्र है तथा न ही कथित बलात्कार के विषय में कोई दिनांक, स्थान अथवा समय वादिया ने कही भी नहीं कहा है। सिर्फ कह देने भर से बलात्कार स्थापित नहीं हो जाता अर्थात वादिया का समस्त वाद झूठा है।

वादिया मुकदमा, द्वारा अभियुक्त शिवम कुमार को अपने कार्य के विषय में बताया गया था, कि अब कंपनी में नया नियम आ गया है, इस नियम के अनुसार अब ऐसे वाहन जिनकी किस्तें टूट जाती है, उनसे किस्तों के पैसे जमा कराने की अपेक्षा, उनको पकड़कर कहीं भी खड़ा कर लेना है, कुछ दिन बाद वादिया मुकदमा ने यह कहकर पैसे देने बंद कर दिए थे कि कंपनी तीन या चार महीने के पैसे एक साथ, किसी होटल में सेमिनार/समारोह आदि करके देगी, जिससे अन्य लोगों का विश्वास मिलेगा। परंतु जब पांच–छह महीने तक वादिया व कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया तो शिवम आदि ने पूछताछ व जांच पड़ताल की, तो पता चला कि कंपनी में कोई ऐसा नियम है ही नहीं, वादिया ने बेवकूफ बनाकर चार से पांच लाख हड़प लिए थे। मयंक चौधरी और अमित मिश्रा दो–तीन बार वादिया की माँ से मिले, वह भी पैसे देने की बात कहती रहती थी, लेकिन पैसे वापस किसी ने नहीं किए थे। दिनांक 10.01.2026 को मयंक चौधरी व अमित मिश्रा को जानकारी हुई कि शिवम अपने पैसे लेने के लिए वादिया के पास मेरठ आया था तो मयंक चौधरी और अमित मिश्रा भी शिवम् के पीछे–पीछे अपनी गाड़ी से चले गए थे। शाम को शिवम, मयंक चौधरी और अमित मिश्रा के तेजगढ़ी चौराहे के पास मिला था। शिवम ने बताया कि अब वादिया और उसकी माँ से मैं अपना हिसाब–किताब कर लूँगा तथा तुम्हारे पैसे सुबह या रात में तुम तक पहुंचा दूंगा। कथित पीड़िता/वादिया मुकदमा और प्रार्थी/अभियुक्त के बीच इन्वेस्टमेंट से संबंधित पैसों का विवाद था। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी स्वतंत्र/गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष इस संपूर्ण प्रकरण को दिनांक 07.03.2025 को शुभकामना होटल में रूम नंबर 203 में नशीला पदार्थ पिलाकर कथित बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाई गई पर ही आधारित करता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन के कथानक में दिनांक 10.01.2026 को भी शुभकामना

होटल में कथित रूप से बनाई गई वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर घर के नीचे बुलाया गया एवं मयंक चौधरी तथा अमित मिश्रा द्वारा बलात्कार किया गया। जिसके संबंध में विवेचना में यह पाया गया की दिनांक 07.03.2025 को होटल शुभकामना में रूम नंबर 203 में श्री प्रतीक अग्रवाल निवासी संत कबीर नगर दिनांक 06. 03.2025 से 08.03.2025 तक रहे हैं, जिसकी पुष्टि होटल में दिनांक 07.03.2025 को श्री प्रतीक अग्रवाल के बयान एवं तत्कालीन कर्मचारियों के बयान तथा होटल के अभिलेखों से हई है, जिससे दिनांक 07.03.2025 को अश्लील वीडियो बनाया जाना एवं नशीला पदार्थ पिलाने की घटना का होना ही नहीं पाया गया है, अर्थात अभियोजन के द्वारा लिया गया आधार ही पूर्ण रूप से झूठा है तथा यह समस्त प्रकरण भी स्वतः झूठा प्रमाणित हो जाता है। न्यायालय द्वारा अपने आदेश निस्तारण रिमांड याचना के अपने आदेश दिनांक 01.06.2026 में यह उद्धरत किया गया है कि दिनांक 11.01.2026 को वादिया के पिता के द्वारा दिए गए प्रार्थना–पत्र के समय ही, पीड़िता की माँ की बात थाने पर ही पीड़िता से हो गई थी, जिसमें पीड़िता द्वारा अभियुक्त शिवम के साथ अपनी मर्जी से जाना और शिवम द्वारा गलत काम न किया जाना भी प्रार्थना–पत्र दिए जाते समय ही बताया गया था जिस कारण तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाना उचित नहीं प्रतीत हुआ था। दिनांक 27.02.2026 को अभियुक्त शिवम द्वारा दिनांक 10/11.01.2026 की रात्रि में अभियुक्त शिवम् द्वारा दिनांक 07.03.2025 को शुभकामना होटल में बनाई गई अश्लील वीडियो को वायरल करने का डर दिखाकर घर के नीचे बुलवाने एवं अज्ञात स्थान पर मयंक चौधरी और अमित मिश्रा के साथ, बलात्कार करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए जाने पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। यह तथ्य अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सोच समझकर प्रार्थी/अभियुक्त को षड्यंत्र के अंतर्गत झूठा फंसाए जानें को स्पष्ट स्थापित करता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.04.2026 से जिला कारागार में अवरुद्ध है।

लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना दिनांक 07.03.2025 पर आधारित है, जो शुभकामना होटल के कमरा संख्या 203 में नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किये जाने की दर्शायी गयी है। किन्तु विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 06.03.2025 से दिनांक 08.03.2025 तक उक्त कमरा नंबर 203 में अन्य कोई व्यक्ति ठहरा हुआ था। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना यह भी पाया कि सहअभियुक्त अमित मिश्रा, मयंक चौधरी तथा पूजा व दीपा देवी की कोई संलिप्तता उक्त अपराध में नहीं है। मामला धन का लेन–देन, कम्पनी के कार्यों एवं वाहन ऋण वसूली से सम्बन्धित था। उक्त के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिया को शादी का झॉसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी मर्जी के विरूद्व बलात्कार किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए, अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध वादिनी/पीड़िता को शादी का झॉसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी इच्छा के विरूद्व बलात्कार करने व पैसे हड़पने, गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोग है।

9. केस डायरी के प्रपत्र संख्या 1 में पीड़िता का 180 बी.एन.एस.एस का बयान अंकित है, जिसमें उसके द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा संख्या 5 पर पीड़िता का 183 बी.एन.एस.एस का बयान अंकित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि वह जतिन राजवंशी के यहॉ टेली कालर की जॉब करती थी। वह दिसम्बर 2023 में इस नौकरी पर लगी थी। इस ऑफिस का मालिक जतिन है। शिवम कुमार मुरादाबाद में फील्ड़ ऑफिसर था। शुरू में हमारे काम के सिलसिले में बात होती थी। उसने मुझसे शादी करने की बात कहीं और कहा कि हम रिलेशनशिप में आ जाते है। लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उसने दिनांक 27.03.2025 को शुभकामना होटल में मिलने के लिये बुलवाया। शुभकामना होटल हम लोग गये, वहॉ उसने रूम बुक किया था, खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे कुछ देर बाद होश आया तो मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसने मेरा फोटो वीडियो बना लिया था। यही धमकी देकर कि मैं वायरल कर दूॅगा, उसने पॉच–छः बार बुलाया और रेप किया, उसने मुझसे पैसे भी ठगे। ऑनलाईन 4,50,000/–रूपये अलग–अलग तारीख, ऑनलाईन 2,35,000/–रूपये भी लिये, वरना फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वह दिनांक 11.12.2025 को प्रैगनंट थी, जिसके बाद उसने मुझे जबरदस्ती गोली खिलायी, जिससे मेरा गर्भपात हो गया। उसने मुझे घर के नीचे बुलाया और थार गाड़ी नंबर यू.पी. 38ए.एच.2003 में बैठाया, उसमें उसके दोस्त मयंक चौधरी, अमित मिश्रा थे, वहॉ से उसे जबरदस्ती वे लोग ले गये और शराब पिलाने की कोशिश की।

मना करने पर मारपीट की। इन लोगों ने मुझे मेरा वीडियो दिखाया, फिर शिवम में गाडी में ही मेरे साथ बलात्कार किया। फिर मयंक चौधरी ने व फिर अमित मिश्रा ने किया।

10. वादिया की माता श्रीमती पूनम का बयान विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नंबर 15 में अंकित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा कथित घटना का समर्थन किया है।

11. विवेचक द्वारा वादिया और अभियुक्त दोनों के मोबाईल की सी0डी0आर का अवलोकन कर उसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा नंबर 18 में किया गया है। मामले में विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र तैयार किया जा चुका है, कोई साक्ष्य संकलन होना शेष नहीं है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने पर उसके द्वारा पीड़िता व गवाहों को डराने व धमकाने एवं उसके फरार होने की प्रबल संभावना दर्शायी गयी है।

12. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **शिवम कुमार पुत्र रघुवीर सिंह** द्वारा प्रस्तुत नियमित प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 19.06.2026

(राकेश कुमार–पंचम)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6155

Pankaj Kumar (P.A.)